



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224601
CG-DL-E-21012021-224601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 267]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 288(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2612(अ). तारीख 04 अगस्त 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के झालावाड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा.रा. संख्या 52) के कि.मी. 318.500 से कि.मी. 346.540 तक (दरा-तीनधार खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 16 सितम्बर, 2020 को “दैनिक भास्कर” और “राजस्थान पत्रिका” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया रा.रा. संख्या 52) के 318.500 कि.मी. से 346.540 तक के भूखण्ड (दरा-तीनधार खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: झालावाड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: झालरापाटन				
	गांव का नाम: भंवरासा				
1	1462/534	निजी	माल सोयम	0.265	पूनमबावा पत्नि सुभाषचन्दा जाति बैरागी निवासी झालरापाटन (1462/534)
	गांव का नाम: हरीपुरा				
2	317/30	निजी	बीड़	0.0029	कालूलाल देवलाल पुत्र रतनलाल जाति दांगी सा.देह खातेदार हि.बराबर (317/30)
3	390/41	निजी	चाही दोयम, जाव दोयम	0.0122	खेमराज पुत्र कंवरलाल जाति दांगी सा.देह खातेदार (390/41)
	गांव का नाम: झालरापाटन				
4	3311/55	निजी	बीड़	0.04	जगदीश चन्द पुत्र अमरचन्द जाति कुल्मी सा. जूनाखेडा (3311/55)
5	3409/1980	निजी	नहरी प्रथम	0.0113	राजदुलारी अरोडा पत्नि मोहनप्रकाश जाति अरोडा सा.देह खातेदार (3409/1980)
6	3625/1887	निजी	नहरी प्रथम	0.052	संगीता व राधेश्याम कास्ट भील र झालरापाटन (3625/1887)

	गांव का नाम: रलायता				
7	713/375	सरकारी	गै.मु. आवासीय भूमि	0.0186	राजस्थान सरकार (713/375)
8	974/289	निजी	जाव सोयम	0.506	श्वेता पत्नि देवेन्द्र जाति महाजन सा.झालावाड (974/289)
			कुल	0.9080	

[फा.सं. NHAI/NH No. 12 (New NH No. 52)/LA/Kota&Jhalawar/FTS-129/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2021

S.O. 288(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2612(E). dated 04 August 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (New NH No. 52) on the stretch of land from Km. 318+500 to Km. 346+540 of (Darah-Teendhar Section) in District Jhalawar, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Rajasthan Patrika" both dated 16 September 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 318+500 to Km. 346+540 (Darah-Teendhar Section) of the National Highway No. 12 (New NH No. 52) in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: JHALAWAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jhalrapatan				
	Village: Bhanwarsa				
1	1462/534	Private	Maal Third	0.265	Poonam Bava w/o Shubhash Chand Cast Bairagi R/o Jhalrapatan 1462/534
	Village: HARIPURA				
2	317/30	Private	Bid	0.0029	Kalulal Devlal s/o Ratanlal Cast Dangi Sah. Deh Khatedar 317/30
3	390/41	Private	Chahi Second, Jav Second	0.0122	Khemraj s/o Kanwarlal Cast Dangi Sah. Deh Khatedar 390/41
	Village: Jhalrapatan				
4	3311/55	Private	Bid	0.04	Jagdish Chand S/o Amar Chand Cast Kulmi R/o Junakhera 3311/55
5	3409/1980	Private	Canal First	0.0113	Rajdulari Arora w/o Mohanprakash Cast Arora Sah. Deh Khatedar 3409/1980
6	3625/1887	Private	Canal First	0.052	Sangeeta W/o Radheshayam Cast Bheel R/o Jhalrapatan 3625/1887
	Village: Ralayta				
7	713/375	Government	G.M. Residential Land	0.0186	Rajasthan Government 713/375
8	974/289	Private	Jav Soyam	0.506	Shewta w/o Devendra Cast Mahajan R/o Jhalawar 974/289
			TOTAL	0.9080	

[F. No. NHAI/NH No. 12 (New NH No. 52)/LA/Kota&Jhalawar/FTS-129/3D]

RAJESH GUPTA, Director